न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 26 / 2022
दायर दिनांक : 22 / 03 / 2022
निर्णय दिनांक : 23 / 07 / 2024

उनवान

1. गीतादेवी पुत्री नाथूजी पत्नी शांतिलाल धोबी निवासी कांकरवा हा.मु. गिलूण्ड तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. हेमराज पिता नाथूलाल धोबी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. भूरालाल पिता नाथूलाल धोबी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. देऊ पुत्री नाथूलाल पत्नी देवीलाल धोबी निवासी कांकरवा हा.मु.कीरखेड़ा तहसील चित्तौड़गढ़
4. प्रेमी पुत्री नाथूलाल पत्नी हजारीलाल धोबी निवासी कांकरवा हा.मु.सासेरा तह. रेलमगरा
5. उपपंजीयक, भूपालसागर
6. पटवारी, पटवार हल्का, कांकरवा तहसील भूपालसागर
7. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता वादी
2. श्री मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता प्रतिवादी
3. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इश्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि ग्राम कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल खाता संख्या 565 के हाल आ.सं. 3064 रकबा 0.10 है., आ.सं. 3097 रकबा 0.42 है., आ.सं. 3098 रकबा 1.21 है., आ.सं. 3099 रकबा 0.04 है., आ.सं. 3100 रकबा 0.06 है., आ.सं. 3101 रकबा 0.08 है., आ.सं. 3102 रकबा 0. 46 है., आ.सं. 3114 रकबा 0.16 है., आ.सं. 3124 रकबा 0.26 है., आ.सं. 3132 रकबा 0.48 है., आ.सं. 3607 रकबा 0.60 है., आ.सं 3608 रकबा 0.40 है., आ.सं. 3609 रकबा 0.10 है., आ.सं. 4863/3105 रकबा 0.05 है. कुल किता 14 रकबा 4.42 है. स्थित है। जो मौरूसी मिल्कीयत होकर वादिया का हक हिस्सा निहित है। वादिया अपने हक हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रही है वजह सबूत हाल जमाबंदी की नकले वादपत्र के साथ पेश है। वादपत्र के पैरा एक में वर्णित आराजियात वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त आराजियात का सम्पूर्ण खाता वादिया एवं प्रतिवादीगण के पिता मृतक नाथू पिता लच्छीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था। मृतक नाथू पिता लच्छीरामजी का पारिवारिक सजरा निम्न है : नाथूजी (फौत) प्रति., भूरा –पुत्र प्रति., देऊ–पुत्री प्रति., हेमराज–पुत्र प्रति., प्रेमी–पुत्री प्रति., गीता–पुत्री वादी, केशी–पत्नी (फौत)। उक्त सजरा अनुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मृतक नाथू के जायन्दा वारिस होकर मृतक नाथू की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में 1/5, 1/5 हक हिस्से के अधिकारी हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर मृतक नाथू के विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम व माता का नाम पर नामान्तरण खुलवा लिया जो कि गलत है। जबकि वादिया तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 मृतक नाथू की जायन्दा पुत्रियां है इस कारण हाल राजस्व रिकार्ड में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक को वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में हाल जमाबंदी में दर्ज हिस्से को दुरूस्त कर 1/5, 1/5 हक हिस्सा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। वादिया इन्द्राज दुरूस्ती की डिकी पाने की अधिकारिणी है। वादपत्र के पैरा एक में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

आराजियात में मृतक नाथू के विरासत का इन्तकाल नं. 700 दिनांक 31.01.1985 को खुला जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना विधिक वारिसों की जांच किये बिना नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा केशी बेवा नाथू के नाम खोल दिया जबकि वादिया व प्रतिवादी सं. 3 व 4 मृतक नाथू की जीवित विधिक वारिसान है एवं वाद वर्णित आराजियात मौरुसी मिल्कीयत की होकर मृतक नाथू के बाप दादाओं की खातेदरी की आराजियात थी तथा वादिया तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 का जन्म से ही वाद वर्णित आराजियात में अधिकार व आधिपत्य है इसलिए मृतक नाथू की वाद वर्णित आराजियात को वादिया एवं वादिया की बहनों के नाम खाते दर्ज करने की घोषणात्मक डिकी पाने की अधिकारिणी है जबकि वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की माता केशी की मृत्यु हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के पक्ष में बराबर बराबर हक हिस्से अनुसार खुला। उसी अनुसार मृतक नाथूजी का विरासत का नामान्तरकरण वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम बराबर हिस्से अनुसार नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है तथा नामान्तरण संख्या 700/1985 को निरस्त होने योग्य है।

वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 से 2 नाम पर ज्यादा हिस्सा दर्ज होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादिया को कब्जे से बेदखल करने की धमकी देते हैं कब्जे में दखलअन्दाजी करते हैं, वादिया की फसल को खुर्द बुर्द करने की कोशिश करते हैं, आराजियात प्रति संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में ज्यादा हिस्सा दर्ज होने से प्रति. संख्या 1 व 2 आराजियात को रहन, बह, बक्षीस, बेचान, वसीयत अन्य को मुन्तकिल करने पर आमदा हैं अगर प्रतिवादीगण उक्त आराजियात को रहन, बह, बक्षीस, वसीयत, बेचान कर देते हैं, वादीगण को कब्जे से बेदखल कर देते हैं तो वादिया को बेशुमार नुकसान होगा जो मूल्यों में नहीं आंका जा सकेगा इसलिये प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादिया के कब्जे से बेदखल नहीं करे, कब्जे में दखअन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन, बह, बक्षीस, बेचान व अन्य को मुन्तकिल नहीं करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 5 उपपंजीयक होने से वाद वर्णित आराजियात के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें, प्रतिवादी सं. 6, 7 हाल राजस्व रिकार्ड की एवं मौके की यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, न ही अपने परिवारजन, नौकर एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से भी नहीं करावें। इन्द्राज दुरुस्ती की डिकी पक्ष वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 का 1/5, 1/5 हक हिस्सा दर्ज कर हाल जमाबंदी में इन्द्राज दुरुस्त कर खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिकी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री मांगीलाल बैरवा, प्रतिवादी सं. 2 व 4 की ओर से वकील श्री पवन जायसवाल ने अधिकार पत्र मय जवाब पेश किये। प्रतिवादी संख्या 3 बाद सूचना भी उपस्थित नहीं आने से दिनांक 23.06.2022 को कार्यवाही एकतरफा की गई।

वकील प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कॉलम सं. 1 स्वीकार, वादपत्र की कॉलम सं. 2 में बनाया गया सजरा स्वीकार बाकि तथ्य अस्वीकार है। वादिया व प्रतिवादी सं. 3, 4 अपने ससुराल रहती है तथा ससुराल के हक हिस्से की खातेदार काश्तकार है, इस कारण से वादगत आराजियात में वादिया का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। वादगत सम्पूर्ण आराजियात पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 काबिज होकर के काश्त कर रहे हैं तथा वर्तमान में भी प्रति[illegible] है वादिया का वादगत आराजियात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है इस कारण [illegible] आराजियात बाबत इन्द्राज दुरुस्ती की डिकी जारी नहीं की जा सकती है [illegible] वादगत आराजियात पर वादिया का कोई कब्जा भी नहीं है वादिया [illegible] ससुराल में रह रही [illegible] वादिया अपने ससुराल की चल अचल सम्पत्ति की हकदार है तथा प्रति[illegible] देउ और प्रेमी को समय समय पर लाते ले जाते हैं मायरा, [illegible] सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा लाते ले जाते हैं इस कारण से घोषणात्मक डिकी जारी नहीं की जा सकती [illegible] दपत्र की कॉलम सं. 4 में लिखित तथ्य अस्वीकार है वाद वर्णित आराजियात का प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी नहीं फरमायी जा सकती वादगत आराजियात पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 काबिज होकर के काश्त कर रहे हैं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वकील प्रतिवादी सं. 2 व 4 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उभय पक्षान निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः

1. वाद पत्र की कॉलम सं. 1 के वर्णित ग्राम कांकरवा की आ.सं. 3064 रकबा 0.10 है, आ.सं. 3097 रकबा 0.42 है, आ.सं. 3098 रकबा 1.21 है, आ.सं. 3099 रकबा 0.04 है, आ.सं. 3100 रकबा 0.06 है, आ.सं. 3101 रकबा 0.08 है, आ.सं. 3102 रकबा 0.46 है, आ.सं. 3114 रकबा 0.16 है, आ.सं. 3124 रकबा 0.26 है, आ.सं. 3132 रकबा 0.48 है, आ.सं. 3607 रकबा 0.60 है, आ.सं. 3608 रकबा 0.40 है, आ.सं. 3609 रकबा 0.10 है, आ.सं. 4863/3105 रकबा 0.05 है. किता 14 रकबा 4.42 है. मौरूसी होकर वादिया 1/5 में इन्द्राज कराने की अधिकारी है।

2. आया वाद पत्र कॉलम सं. 1 में वर्णित उपरोक्त आराजियात मौरूसी होकर प्रतिवादी सं. 1, 2 काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादिया का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होकर वादिया इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री जारी कराने की अधिकारी है। जिम्मे वादी

तनकी संख्या 1 को साबित कराये जाने का भार वादी पर है। ग्राम कांकरवा की आ.सं. 3064 रकबा 0.10 है, आ.सं. 3097 रकबा 0.42 है, आ.सं. 3098 रकबा 1.21 है, आ.सं. 3099 रकबा 0.04 है, आ.सं. 3100 रकबा 0.06 है, आ.सं. 3101 रकबा 0.08 है, आ.सं. 3102 रकबा 0.46 है, आ.सं. 3114 रकबा 0.16 है, आ.सं. 3124 रकबा 0.26 है, आ.सं. 3132 रकबा 0.48 है, आ.सं. 3607 रकबा 0.60 है, आ.सं. 3608 रकबा 0.40 है, आ.सं. 3609 रकबा 0.10 है, आ.सं. 4863/3105 रकबा 0.05 है. किता 14 रकबा 4.42 है. मौरूसी होना प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 प्रमाणित होने से वादिया के नाम 1/5 से इन्द्राज दुरूस्ती कराया जाना उचित होने से तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है। जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या 2 को साबित कराये जाने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी सं. 2 व 4 ने प्रस्तुत जवाब में वादिया के कब्जे को होना स्वीकार किया जाने से प्रतिवादी इस तनकी को साबित करा पाने में असमर्थ रहने से तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

साक्ष्यवादी में P.W. 1 गीतादेवी, P.W. 2 मोटू पिता भूरालाल के शपथ पत्र शामिल पत्रावली होकर साक्ष्य वादी पूर्ण करवाई जाने के पश्चात साक्ष्य वादी बंद की गई तथा साक्ष्य प्रतिवादी में D.W. 1 हेमराज पिता नाथू, D.W 2 देऊ पुत्री नाथू, D.W. 3 प्रेमी पुत्री नाथू D.W. 4 नानालाल पिता उदा, D.W. 5 हजारीलाल के शपथ पत्र पेश होकर शामिल पत्रावली होकर साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण करवाई जाकर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। जिरह वादी एवं प्रतिवादी पूर्ण होकर बंद की गई।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात मौरूसी होने, प्रतिवादी सं. 2 व 4 का स्वीकारोक्ति का जवाब होने से, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील उभय की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम कांकरवा की आ.सं. 3064 रकबा 0.10 है, आ.सं. 3097 रकबा 0.42 है, आ.सं. 3098 रकबा 1.21 है, आ.सं. 3099 रकबा 0.04 है, आ.सं. 3100 रकबा 0.06 है, आ.सं. 3101 रकबा 0.08 है, आ.सं. 3102 रकबा 0.46 है, आ.सं. 3114 रकबा 0.16 है, आ.सं. 3124 रकबा 0.26 है, आ.सं. 3132 रकबा 0.48 है, आ.सं. 3607 रकबा 0.60 है, आ.सं. [illegible] रकबा 0.10 है, आ.सं. 4863/3105 रकबा 0.05 है. किता 14 रकबा 4.42 है. भूमि में से 1[illegible] वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को लिख[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:28:09 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर